



सत्यमेव जयते

THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

21 Maagh, 1941(S)

No. 96

Ranchi, Monday, 10th February, 2020

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification No. 72/2019 – State Tax

S.O. No. 7 Dated 10th February, 2020-- - In exercise of the powers conferred by the sixth proviso to rule 46 of the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), the Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies that an invoice issued by a registered person, whose aggregate turnover in a financial year exceeds five hundred crore rupees, to an unregistered person (hereinafter referred to as B2C invoice), shall have Quick Response (QR) code:

Provided that where such registered person makes a Dynamic Quick Response (QR) code available to the recipient through a digital display, such B2C invoice issued by such registered person containing cross-reference of the payment using a Dynamic Quick Response (QR) code, shall be deemed to be having Quick Response (QR) code.

2. This notification shall be deemed to be effective from the 1st day of April, 2020.

[File.No Va Kar / GST / 02/ 2019]

By the order of the Governor of Jharkhand ,

Sukhdeo Singh,
Additional Chief Secretary

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं०. 72/2019- राज्य कर

एस. ओ. सं 7 दिनांक 10 फ़रवरी, 2020-- झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 46 के छोटे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित करती है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका एक वित्तीय वर्ष में आवर्त पांच सौ करोड़ रुपए से अधिक हो, द्वारा किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को जारी किए गए किसी बीजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् बी2सी बीजक कहा गया है) पर त्वरित प्रतिउत्तर (क्यूआर) कोड होगा:

परंतु जहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से प्रापक को गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर (क्यूआर) कोड उपलब्ध कराता है, जिस गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर में भुगतान का प्रतिसंदर्भ अंतर्विष्ट हैं, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी ऐसा बी2सी बीजक, को गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर रखने वाला समझा जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2020 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं .वा0कर/जी0एस0टी0/02/2019]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

सुखदेव सिंह,
अपर मुख्य सचिव